यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला क्रीड़ा अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला क्रीड़ा अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल** के माह फरवरी 2016 से नवम्बर 2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुन्ना राम, ले.प. एवं श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.12.2017 से 19.12.2017 तक श्री महेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजबहादुर एवं श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.02.2016 से 02.03.2016 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2008 से 01/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2016 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जिला खेल कार्यालय नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल में 12 खेलों में बालक/बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तथा स्तरीय प्रतियोगिताओं एवं क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण भी कराया जाता है।

**(ii) (अ) विगत पाँच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

**(रु. लाख में)**

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना ` | गैर स्थापना ` | आवंटन ` | व्यय ` | आवंटन ` | व्यय ` | | |
| 2015-16 | - | - | 24.88 | 21.25 | 85.59 | 85.59 | - | 3.63 |
| 2016-17 | - | - | 33.58 | 28.19 | 64.26 | 64.26 | - | 5.39 |
| 2017-18 | - | - | 84.67 | 64.77 | - | - | - | 19.90 |

**(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय अधिक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|
| -----------------शून्य----------- | | | | | |

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी की है।

**विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

1. सचिव खेल
2. अपर सचिव खेल
3. निदेशक खेल
4. अपर निदेशक खेल
5. संयुक्त निदेशक खेल
6. उप निदेशक खेल
7. सहायक निदेशक खेल
8. जिला क्रीड़ा अधिकारी
9. उप क्रीड़ा अधिकारी
10. सहायक प्रशिक्षण

1. **जनपद स्तर**
   1. जिला क्रीड़ा अधिकारी
   2. प्रधान सहायक
   3. स्वी. कम चौकीदार
2. **विकास खण्ड स्तर**
   1. क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा.र.दल अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **जिला क्रीड़ा अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला क्रीड़ा अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह सितम्बर 2017 एवं नवम्बर 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा ................, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग-दो(ब)**

**प्रस्तर-1- वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों का उल्लंघन कर बिना एमओयू एवं बिना विभाग के नाम भूमि दर्ज कराये निर्माण कार्य कराया जाना।**

वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भी ऐसी भूमि जो कि विभाग के पूरे कब्जे में न हो कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए। शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसरण, कार्यदायी संस्था के साथ प्रत्येक निर्माण कार्य को आवंटित करते समय एमओयू हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

नई टिहरी में शूटिंग रेंज के निर्माण हेतु विभाग के प्रस्ताव पर जिला योजना के अंतर्गत रु. 176.78 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर रु. 30.00 लाख की धनराशि वर्ष 2014-15 में दिनांक 13.03.2015 को अवमुक्ति के आदेश आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा जारी किए गए। इस कार्य हेतु सिंचाई विभाग, नई टिहरी को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया। दिनांक 18.03.2016 को उक्त निर्माण कार्य हेतु रु. 36.59 लाख रुपये की द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई गयी। पत्रावली में उपलब्ध माह मार्च 2016 की मासिक प्रगति आख्या के अनुसार कार्य की प्रगति 40% थी।

कार्य से संबंधित अभिलेखों में उक्त निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध भूमि के विभाग के नाम होने के किसी प्रकार के अभिलेख उपलब्ध नहीं पाये गये, साथ ही विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ किया गया एमओयू भी नहीं पाया गया।

उक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू नहीं किया गया साथ ही वह भूमि जिसमें निर्माण कार्य चल रहा है वह भी विभाग के नाम दर्ज नहीं है। इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि भूमि विभाग के नाम दर्ज नहीं है जोकि वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू न किया जाना भी शासन द्वारा जारी शासनादेशों का उल्लंघन है।

## STAN

### प्रस्तर-1- कोटेशन में चयनित फर्मों से इतर अन्य फर्म से रु. 5.32 लाख की अधिप्राप्ति।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम सं. 3(1) के अनुसार समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पदता सुनिश्चित की जाये ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। नियम सं. 3(2) के अनुसार जब तक इन नियमों अथवा विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी जाये, समस्त अधिप्राप्तियों निविदा के माध्यम से की जायेगी।

लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि माह नवम्बर 2016 के चन्द्रभाग स्टेशनर्श एवं स्पोटर्स को क्रीड़ा सामग्री क्रय के सापेक्ष रु. 5.32 लाख का भुगतान किया गया। भुगतान का विवरण निम्नानुसार है।

| क्र.सं. | बिल सं. | धनराशि |
|---|---|---|
| 1. | 91 | 11,602/- |
| 2. | 92 | 38,514/- |
| 3. | 93 | 47,916/- |
| 4. | 94 | 38,445/- |
| 5. | 98 | 43,685/- |
| 6. | 99 | 47,932/- |
| 7. | 110 | 34,965/- |
| 8. | 111 | 89,454/- |
| 9. | 112 | 38,010 |
| 10. | 113 | 1,41,372/- |
| **कुल योग** | | **5,31,890/-** |

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वित्त वर्ष 2016-17 में कोटेशन में चयनित फर्मों में चन्द्रभागा स्टेशनर्श एवं स्पोटर्स सम्मिलित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि कोटेशन में चयनित फर्मों से क्रीड़ा सामग्री क्रय न कर अन्य फर्म से क्रय की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा कि समय से सामग्री की सम्पूर्ति नहीं की जाने के कारण क्रीड़ा सामग्री अन्य फर्मों से क्रय करनी पड़ी एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तत्काल सामग्री क्रय की गई।

लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त अधिप्राप्ति हेतु कोई विशेष छूट अथवा उच्चाधिकारियों की विशेष संस्वीकृति प्राप्त नहीं थी।

अतः कोटेशन में चयनित फर्मों से उत्तर अन्य फर्म से रु. 5.32 लाख की क्रीड़ा सामग्री क्रय किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-III

### विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| कार्यालय को विगत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। | | |

### विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|

## <u>भाग-IV</u>

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------------शून्य---------

## <u>भाग-V</u>

## <u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला क्रीड़ा अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i)

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i)

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| **क्र.सं.** | **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री सुनील कुमार डोभाल | जिला क्रीड़ा अधिकारी | 09/2015 से 28.07.2016 |
| 2. | श्री कृष्ण कुमार | जिला क्रीड़ा अधिकारी | 29.07.2016 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला क्रीड़ा अधिकारी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जांय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र**